विषय-वस्तु


| पैरा नं. | ब्योरे | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| क | प्रयोजन | 4 |
| ख | वर्गीकरण | 4 |
| ग | पिछले अनुदेश | 4 |
| घ | प्रयोज्यता | 4 |
| 1. | प्रस्तावना | 6 |
| 1.1 | देशी जमाराशियां | 6 |
| 1.2 | सामान्य अनिवासी (एनआरओ) खाते | 6 |
| 1.3 | अनिवासी (बाह्य) (एनआरई) खाते | 7 |
| 1.4 | सामान्य अनिवासी तथा अनिवासी (बाह्य) जमाराशियों पर ब्याज दर विनियमन | 7 |
| 2. | दिशानिर्देश | 9 |
| 2.1 | परिभाषाएं | 9 |
| 2.2 | बचत जमाराशियों और मीयादी जमाराशियों संबंधी न्यूनतम अवधि और देय ब्याज दरें | 10 |
| 2.3 | मीयादी जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान- ब्याज की गणना की विधि | 13 |
| 2.4 | सेना समूह बीमा निदेशालय, आदि को अतिरिक्त ब्याज | 14 |
| 2.5 | बैंक के कर्मचारियों एवं केवल उनके संघों की जमाराशियों पर एक प्रतिशत से अनधिक अतिरिक्त ब्याज देने का विवेकाधिकार | 14 |
| 2.6 | बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक और कार्यपालक निदेशकों की जमाराशियों पर एक प्रतिशत से अनधिक अतिरिक्त ब्याज की अदायगी से संबंधित विवेकाधिकार | 16 |
| 2.7 | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा प्रायोजक बैंक के पास रखे गये चालू खाते पर ब्याज की अदायगी का विवेकाधिकार | 16 |
| 2.8 | किसी किसान के संमिश्र नकदी ऋण खाते में न्यूनतम जमा शेष पर ब्याज अदायगी का विवेकाधिकार | 16 |
| 2.9 | वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमा योजना | 16 |
| 2.10 | मीयादी जमाराशि का अवधिपूर्व आहरण | 17 |
| 2.11 | मीयादी जमाराशि, दैनिक जमाराशि के रूप में जमाराशि अथवा आवर्ती जमाराशि का मीयादी जमाराशि में पुनर्निवेश के लिए परिवर्तन | 18 |

| | | |
|---|---|---|
| 2.12 | अतिदेय जमाराशियों का नवीकरण | 18 |
| 2.13 | मीयादी जमाराशि की जमानत पर दिये जाने वाले अग्रिम - ब्याज लगाने का तरीका | 19 |
| 2.14 | मीयादी जमाराशियों की जमानत पर दिये जाने वाले अग्रिमों पर मार्जिन | 19 |
| 2.15 | अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता जमाराशियों पर अग्रिमों संबंधी प्रतिबंध - ऋण की मात्रा | 20 |
| 2.16 | मृत जमाकर्ता के जमा खाते पर देय ब्याज़ | 20 |
| 2.17 | जमाराशियों पर ब्याज में परिवर्तन तथा विभिन्न स्तर की ब्याजदरों के अनुसार जमाराशियों के ब्रेक-अप से भारतीय रिज़र्व बैंक को अवगत कराना | 21 |
| 2.18 | संयुक्त खाताधारियों का नाम / के नाम जोड़ना या निकालना | 21 |
| 2.19 | लेनदेनों को पूर्णांकित करना | 21 |
| 2.20 | मीयादी जमाराशि की रसीद जारी करना | 22 |
| 2.21 | रविवार /छुट्टी के दिन /गैर कारोबारी कार्य दिवस को अवधिपूर्ण होने वाली मीयादी जमाराशि पर ब्याज का भुगतान | 22 |
| 2.22.अ | जमा संग्रहण योजनाएं | 22 |
| 2.22.आ | निश्चित अवरुद्धता अवधि वाले विशेष मीयादीजमा उत्पाद | 23 |
| 2.23 | बचत बैंक खातों में न्यूनतम जमाशेष | 23 |
| 2.24 | "नो-फ्रिल्स " खाता | 24 |
| 2.25 | छूट | 24 |
| 2.26 | प्रतिबंध | 25 |
| अनुबंध 1 | देशी जमाराशियों पर ब्याज की दरें | 29 |
| अनुबंध 2 | अनिवासी (बाह्य ) जमाराशियों पर ब्याज की दरें | 30 |
| अनुबंध 3 | खण्ड 2.26(ढ) (i) में दिये गये प्रतिबंधों से छूट | 32 |
| परिशिष्ट | समेकित परिपत्रों की सूची | 33 |

**देशी, सामान्य अनिवासी और अनिवासी (बाह्य)खातों में रखी**
**रुपया जमाराशियों पर ब्याज दरों  से संबंधित मास्टर परिपत्र**

**क.** **<u>प्रयोजन</u>**

देशी, साधारण अनिवासी और अनिवासी (बाह्य) खातों में रखी रुपया जमाराशियो पर ब्याज दरों  के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों को समेकित करना

**ख.** **<u>वर्गीकरण</u>**

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949  के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सांविधिक निदेश

**ग.** **<u>पिछले अनुदेश</u>**

इस मास्टर परिपत्र में परिशिष्ट में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित उक्त विषय पर जारी अनुदेशों को समेकित किया गया है।

**घ.** **<u>प्रयोज्यता</u>**

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

**<u>ढाँचा</u>**

1. **प्रस्तावना**
2. **दिशानिर्देश**

   2.1. परिभाषाएं.
   2.2. बचत जमाराशियों और मीयादी जमाराशियों संबंधी न्यूनतम अवधि  और देय ब्याज दरें
   2.3. मीयादी जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान- ब्याज की गणना की विधि
   2.4. सेना समूह बीमा निदेशालय, नौ सेना समूह बीमा निधि तथा वायु सेना समूह बीमा सोसाइटी को अतिरिक्त ब्याज
   2.5. बैंक के कर्मचारियों एवं केवल उनके संघों की जमाराशियों पर एक प्रतिशत से अनधिक अतिरिक्त ब्याज देने का विवेकाधिकार
   2.6. बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक और कार्यपालक निदेशकों की जमाराशियों पर एक प्रतिशत से अनधिक अतिरिक्त ब्याज की अदायगी से संबंधित विवेकाधिकार
   2.7. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा प्रायोजक बैंक के पास रखे गये चालू खाते पर ब्याज की अदायगी का विवेकाधिकार
   2.8. किसी किसान के संमिश्र नकदी ऋण खाते में न्यूनतम जमा शेष पर ब्याज अदायगी का विवेकाधिकार

2.9. वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमा योजना

2.10. मीयादी जमाराशि का अवधिपूर्व आहरण

2.11. मीयादी जमाराशि, दैनिक जमाराशि के रूप में जमाराशि अथवा आवर्ती जमाराशि का मीयादी जमाराशि में पुनर्निवेश के लिए परिवर्तन

2.12. अतिदेय जमाराशियों का नवीकरण

2.13. मीयादी जमाराशि की जमानत पर दिये जाने वाले अग्रिम - ब्याज लगाने का तरीका

2.14. मीयादी जमाराशियों की जमानत पर दिये जाने वाले अग्रिमों पर मार्जिन

2.15. अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता जमाराशियों पर अग्रिमों संबंधी प्रतिबंध - ऋण की मात्रा

2.16. मृत जमाकर्ता के जमा खाते पर देय ब्याज़

2.17 जमाराशियों पर ब्याज में परिवर्तन तथा विभिन्न स्तर की ब्याज दरों के अनुसार जमाराशियों के ब्रेक-अप से भारतीय रिज़र्व बैंक को अवगत कराना

2.18. संयुक्त खाताधारियों का नाम / के नाम जोड़ना या निकालना

2.19. लेनदेनों को पूर्णांकित करना

2.20. मीयादी जमाराशि की रसीद जारी करना

2.21. रविवार /छुट्टी के दिन /गैर कारोबारी कार्य दिवस को अवधिपूर्ण होने वाली मीयादी जमाराशि पर ब्याज का भुगतान

2.22. अ. जमा संग्रहण योजनाएं

2.22. आ. निश्चित अवरुद्धता अवधि वाले विशेष मीयादी जमा उत्पाद

2.23. बचत बैंक खातों में न्यूनतम जमाशेष

2.24. "नो- फ्रिल्स " खाता

2.25. छूट

2.26 प्रतिबंध

**3. अनुबंध**

अनुबंध 1 देशी जमाराशियों पर ब्याज की दरें

अनुबंध 2 अनिवासी (बाह्य ) जमाराशियों पर ब्याज की दरें

अनुबंध 3 खण्ड 2.26(ढ) (i) में दिये गये प्रतिबंधों से छूट

परिशिष्ट समेकित परिपत्रों की सूची

## 1. प्रस्तावना

### 1.1 देशी जमाराशियां

बैंकिंग क्षेत्र में किए गए सुधारों से पूर्व भारतीय रिज़र्व बैंक जमाराशियों के संबंध में बैंकों द्वारा प्रस्तावित की जानेवाली दरों और परिपक्वता अवधियों को निर्धारित किया करता था। बैंकिंग सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के बीच कोई मूल्य प्रतिस्पर्द्धा नहीं थी और ग्राहक केवल सीमित उत्पादों में से ही चयन कर सकते थे। अविनियमन के परिणामस्वरूप बचत जमाराशियों को छोड़कर, बैंक अपनी विभिन्न परिपक्वताओं की जमाराशियों पर दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो जमाकर्ताओं के लिए विकल्प उपलब्ध करते हैं। 7 दिन की न्यूनतम अवधि के लिए भी ग्राहक मीयादी जमाराशि पर ब्याज़ प्राप्त कर सकता है। बैंक अब किसी उच्चतम सीमा से अधिक की राशि की विभिन्न जमाओं के लिए भी अलग-अलग ब्याज़ दरें देने के लिए स्वतंत्र हैं क्योंकि लेनदेन की लागत राशि के आकार के अनुसार विभिन्न होती है। पहले, भारतीय रिज़र्व बैंक ने जमाराशि के अवधिपूर्व आहरण के लिए दंड लगाने का निर्णय किया था, परंतु अब यह मामला हर एक बैंक पर छोड़ दिया गया है ।

22 अक्तूबर 1997 से भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्य बैंकों को यह स्वतंत्रता दी है कि वे अपने-अपने निदेशक मंडल /परिसंपत्ति -देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) के पूर्वानुमोदन से विभिन्न परिपक्वता वाली देशी मीयादी जमाराशियों पर अपनी ब्याज़ दरें निर्धारित करें। बचत बैंक खातों संबंधी ब्याज़ दरों को भी पैरा 2.2 ख(iii) में उल्लिखित शर्तों के अधीन 25 अक्तूबर 2011 से विनियंत्रित किया गया है।

देशी रुपया खाता चालू, बचत अथवा मीयादी जमा के रूप में खोला जा सकता है।

### 1.2 सामान्य अनिवासी (एनआरओ)

अनिवासी भारतीय स्थानीय वास्तविक लेनदेनों से अपनी निधियां प्राप्त करने के लिए अनिवासी साधारण जमा खाता खोल सकते हैं। चूँकि अनिवासी साधारण खाता रुपया खाता होता है, अत: ऐसी जमाराशियों पर विनिमय दर जोखिम जमाकर्ता स्वयं वहन करते हैं। जब कोई निवासी अनिवासी बन जाता है तब उसके विद्यमान खातों को अनिवासी साधारण खाते में परिवर्तित कर दिया जाता है। ऐसे खाते भारत में रहने वाले विदेशी राष्ट्रिकता वालों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। प्राधिकृत व्यापारी संवर्ग-I के बैंक कतिपय शर्तों के अधीन विदेशी राष्ट्रिकों को, जो भारत में रोजगार पर आए हैं और जो निवासी बचत बैंक खाता खोलने/रखने के पात्र हैं, रोजगार के बाद इस देश से वापस चले

जाने पर भारत में रखे अपने निवासी खाते को एनआरओ खाते के रूप में परिवर्तित करने की अनुमति दे सकते हैं, ताकि वे अपनी वैध बकाया राशियों को प्राप्त कर सकें।

अनिवासी साधारण खाते चालू, बचत, आवर्ती अथवा मीयादी जमाराशियों के रूप में रखे जा सकते हैं। हालाँकि अनिवासी सामान्य जमाराशियों का मूलधन स्वदेश नहीं भेजा जा सकता, वर्तमान आय तथा ब्याज से अर्जित आय स्वदेश भेजी जा सकती है । इसके अलावा, अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति अनिवासी साधारण खातों में धारित शेष/आस्तियों/विप्रेषण कर्ता द्वारा अधिग्रहण/विरासत/वसीयत के रूप में प्राप्त आस्तियों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य तथा विप्रेषणकर्ता के वचन पत्र तथा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के 9 अक्तूबर 2002 के परिपत्र सं. 10/2002 द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में सनदी लेखाकार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उसके द्वारा विरासत/वसीयत के रूप में भारत में अधिग्रहण की गई आस्तियों की बिक्री आगम में से प्रति वर्ष 1 मिलियन अमरीकी डालर तक की राशि विप्रेषित कर सकता है ।

## 1.3 <u>अनिवासी (बाह्य)(एनआरई)खाता</u>

अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता एनआर(ई)आरए योजना, जिसे अनिवासी बाह्य योजना के रूप में भी जाना जाता है, 1970 में लागू की गई थी। कोई भी अनिवासी भारतीय किसी विदेश स्थित बैंक के माध्यम से भारत में निधि विप्रेषित कर अनिवासी बाह्य खाता खोल सकता है। यह स्वदेश प्रत्यावर्ती खाता है और अन्य अनिवासी बाह्य खाते और विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते से अंतरण भी अनुमत है। अनिवासी बाह्य रुपया खाता चालू, बचत या मीयादी जमा के रूप में खोला जा सकता है। अनिवासी बाह्य खातों से स्थानीय भुगतान भी निर्बाध रूप से किए जा सकते हैं। चूँकि यह खाता रुपए में रखा जाता है, जमाकर्ता को विनिमय जोखिम उठानी पड़ सकती है। अनिवासी भारतीयों /भारतीय मूल के व्यक्तियों को यह विकल्प उपलब्ध है कि वे अपने अनिवासी (बाह्य) रुपया खाते में चालू आय को जमा करें; बशर्ते प्राधिकृत व्यापारी इस बात से आश्वस्त हो कि संबंधित जमा अनिवासी खाताधारकों की चालू आय है और उसपर लागू आय पर कर काट लिया गया है या उसका प्रावधान किया गया है।

## 1.4. <u>ब्याज़ दर विनियमन</u>

1990 के पहले, विभिन्न अनिवासी भारतीय जमाराशि योजनाओं संबंधी ब्याज़ दरों को देशी

जमा दरों के विनियमन के अनुरूप विनियमित किया जाता था। लचीलेपन की तरफ पहले कदम के रूप में 1992 में अनिवासी बाह्य जमाराशियों के परिपक्वता -वार विस्तृत निर्धारणों को देशी जमाराशियों के लिए दिये गये लचीलेपन के अनुरूप विवेकपूर्ण बना दिया गया । अनिवासी बाह्य और देशी जमाराशियों के परिपक्वता ढांचे को समरूप बनाने के लिए 2 वर्ष से अधिक परिपक्वता वाली अनिवासी बाह्य मीयादी जमाराशियों पर ब्याज़ दरें 4 अप्रैल 1996 से मुक्त कर दी गयीं, जबकि 1 वर्ष से अधिक की परिपक्वता वाली अनिवासी बाह्य मीयादी जमाराशियों पर ब्याज़ दरें 16 अप्रैल 1997 से मुक्त की गयीं। 13 सितंबर 1997 से बैंकों को सभी परिपक्वताओं पर ब्याज़ दरों के संबंध में निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता दी गयी।

वित्तीय बाज़ारों की बदलती स्थितियों के अनुसार अनिवासी बाह्य मीयादी जमाराशियों संबंधी ब्याज़ दरों को, तदनुरूपी परिपक्वतावाली जमाराशियों के अमरीकी डॉलर लिबोर/स्वैप दरों से 250 आधार बिंदुओं से अधिक की उच्चतम सीमा लागू कर 17 जुलाई 2003 से अंतर्राष्ट्रीय दरों से संबद्ध किया गया। ये उच्चतम दरें क्रमश: रूप से कम की गयीं और 24 अप्रैल 2007 को कारोबार की समाप्ति पर तदनुरूपी परिपक्वता वाली जमाराशियों की लिबोर/स्वैप दरों तक नीचे लायी गयीं। तथापि, वर्ष 2008-09 के दौरान 15 नवंबर 2008 की स्थिति के अनुसार कारोबार की समाप्ति के समय से प्रभावी तदनुरूपी परिपक्वताओं के लिए उच्चतम सीमाओं में लिबोर/स्वैप दरों से 175 आधार अंक अधिक तक की क्रमिक वृद्धि पाई गई । साथ ही, अनिवासी बाह्य बचत जमा दर की देशी बचत जमा दर के साथ जो संबद्धता थी, उसे हटाया गया और उच्चतम अनिवासी बाह्य बचत जमा दर को 17 अप्रैल 2004 से छमाही अमरीकी डॉलर लिबोर/स्वैप दर पर निर्धारित किया गया। तथापि, 17 नवंबर 2005 को भारत में कारोबार की समाप्ति से अनिवासी बाह्य बचत जमाराशियों पर ब्याज़ दर वही है जो देशी बचत जमाराशियों पर लागू है।

अनिवासी जमाराशियां जुटाने में बैंकों को अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए तथा बाजार की मौजूदा स्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों तथा साधारण अनिवासी (एनआरओ) खातों [साधारण अनिवासी (एनआरओ) खातों के अंतर्गत मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरों को पहले ही विनियंत्रित कर दिया गया है] पर ब्याज दरों को विनियंत्रित किया जाए । तदनुसार, बैंक अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशि खातों के अंतर्गत बचत जमाराशियों तथा एक वर्ष और उससे अधिक परिपक्वता अवधि की मीयादी जमाराशियों तथा साधारण अनिवासी (एनआरओ) खातों के अंतर्गत बचत जमाराशियों पर अपनी ब्याज दरें 16 दिसंबर

2011 से निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं । तथापि, बैंकों द्वारा एनआरई तथा एनआरओ जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज दरें उन ब्याज दरों से अधिक नहीं हो सकतीं जो उनके द्वारा तुलनीय घरेलू रुपया जमाराशियों पर दी जाती हैं ।

2. **दिशानिर्देश**

वाणिज्य बैंकों को देशी, साधारण अनिवासी और अनिवासी (बाह्य) खातों में अपने द्वारा स्वीकार अथवा नवीकृत की गई जमाराशियों पर, **अनुबंध 1 और 2 में** निर्दिष्ट, जो भी लागू हो, दरों से भिन्न दरों पर, तथा नीचे के पैराग्राफों में निर्दिष्ट शर्तों से भिन्न शर्तों पर ब्याज अदा नहीं करना चाहिए ।

2.1 **परिभाषाएं**

इस परिपत्र के प्रयोजन के लिए,

(क) "मांग देयताओं" और "मीयादी देयताओं" का अर्थ किसी बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (2) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई विवरणी में दर्शायी गयी देयताएं है ।

(ख) "मांग जमाराशि" का अर्थ बैंक द्वारा प्राप्त ऐसी जमाराशि है जो मांग पर आहरित की जा सकती हो ।

(ग) "बचत जमाराशि" का अर्थ उस प्रकार की मांग जमाराशि है जो जमा खाता हो, भले ही उसका नाम "बचत खाता", "बचत बैंक खाता", "बचत जमा खाता" या कोई ऐसा अन्य खाता हो जिसका नाम कुछ भी क्यों न हो, और जो किसी निर्दिष्ट अवधि के दौरान बैंक द्वारा अनुमत आहरणों की संख्या और साथ ही आहरणों की राशि के प्रतिबंधों के अधीन हो ।

(घ) "मीयादी जमाराशि" का अर्थ ऐसी जमाराशि है, जो बैंक द्वारा किसी निश्चित अवधि के लिए प्राप्त की गयी हो और जो उक्त निश्चित अवधि समाप्त होने पर ही आहरित की जा सकती हो और इसमें आवर्ती /संचयी / वार्षिकी /पुनर्निवेश जमाराशियां, नकदी प्रमाणपत्र और इसी प्रकार की अन्य जमाराशियां शामिल होंगी ।

(ङ) "नोटिस जमाराशि" का अर्थ निर्दिष्ट अवधि के लिए जमा की गयी ऐसी मीयादी जमाराशि (टर्म डिपाजिट) है जिसे एक पूरे बैंकिंग दिन का नोटिस देकर निकाला जा सकता हो ।

(च) "चालू खाता" का अर्थ ऐसी मांग जमाराशि है जिसमें से, खाते में पड़ी राशि के आधार पर अथवा किसी विशिष्ट सहमत राशि तक के आहरण, चाहे जितनी बार किये

जा सकते हों तथा उसमें ऐसे अन्य जमा खाते भी शामिल माने जायेंगे जो न तो बचत खाते हैं और न ही मीयादी खाते।

(छ) "प्रतिकारी (काउंटरवेलिंग) ब्याज" का अर्थ किसी बैंक के पास उसके उधारकर्ता द्वारा चालू खाते के रूप में रखे गये किसी खाते पर अनुमत ब्याज का लाभ है ।

(ज) "बजट आबंटन" का अर्थ सरकार द्वारा ऐसे बजट के माध्यम से आबंटित की गयी निधि है, जिसमें सरकार के सभी व्यय दर्शाये गये हों। जिस किसी संस्था को सरकार से अनुदान, ऋण अथवा आर्थिक सहायता (सब्सिडी) प्राप्त होती है उसे बजट आबंटन पर निर्भर माना जायेगा भले ही वह सरकार का विभाग, अर्ध-सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी जैसा निकाय हो। संस्थाओं को दिये जाने वाले सरकारी अनुदान भी बजट आबंटन के रूप में होते हैं। इन संस्थाओं की शेयर पूंजी में सरकार का अभिदान भी बजट आबंटन का ही अंग होता है। नगर निगमों, जिला परिषदों, तालुका पंचायतों और ग्राम पंचायतों जैसे स्थानीय निकायों को "क्षतिपूर्ति और समनुदेशन" के रूप में अनुदान दिये जाते हैं, जो बजट आबंटन का ही एक अंग होते हैं, हालांकि इन निकायों द्वारा वसूल किये गये कर केंद्रीय और राज्य सरकारों के बजट आबंटन की परिभाषा और परिधि के अंतर्गत नहीं आते।

(झ) "सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक " का अर्थ भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 2 के खंड (ट) में परिभाषित कोई समनुषंगी (सहायक) बैंक अथवा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 2 के खंड (ख) अथवा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 में परिभाषित कोई उसी प्रकार का नया बैंक है ।

टिप्पणी : सामान्य अनिवासी /अनिवासी (बाह्य) जमाराशियां केवल उन बैंकों द्वारा स्वीकार की जायेंगी जिन्हें रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसी जमाराशियां स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो ।

## 2.2 <u>बचत जमाराशियों और मीयादी जमाराशियों संबंधी न्यूनतम अवधि और देय ब्याज दरें</u>

### 2.2.क. <u>न्यूनतम अवधि</u>

(i) <u>देशी / अनिवासी साधारण मीयादी जमाराशियां</u>

देशी/अनिवासी सामान्य मीयादी जमाराशियों की न्यूनतम अवधि 7 दिन हैं। 1 नवंबर 2004 से पहले, बैंकों को 7 दिन की न्यूनतम परिपक्वता अवधि के लिए 15 लाख रुपए और उससे अधिक की मीयादी जमाराशियां स्वीकार करने की अनुमति दी गई थी और 15 लाख रुपए से कम की मीयादी जमाराशियों के मामले में न्यूनतम परिपक्वता अवधि 15 दिन थी। 1नवंबर 2004 से 15 लाख रुपए से कम की देशी/अनिवासी सामान्य मीयादी जमाराशियों की न्यूनतम अवधि 15 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी गयी है।

(ii) <u>अनिवासी बाह्य जमाराशियां</u>

29 अप्रैल 2003 से अनिवासी बाह्य जमाराशियों के लिए, नई अनिवासी बाह्य मीयादी जमाराशियों के लिए विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के अनुरूप परिपक्वता अवधि का दायरा एक से तीन वर्ष तक करते हुए, न्यूनतम परिपक्वता अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष की गयी है। तथापि, बैंकों को उनकी आस्ति-देयता की दृष्टि से तीन वर्ष से अधिक की अवधि की एनआरई जमाराशियां स्वीकार करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते इस प्रकार की दीर्घावधि जमाराशियों पर ब्याज दर 3 वर्ष की जमाराशियों पर लागू दर से अधिक न हो ।

2.2 ख. <u>ब्याज की अदायगी</u>

(i) बैंकों को चाहिए कि वे अनिवासी बाह्य जमाराशियों सहित बचत जमाराशियों और मीयादी जमाराशियों पर इस परिपत्र के **अनुबंध** 1 और **अनुबंध** 2 में विनिर्दिष्ट दरों पर ब्याज़ अदा करें।

ii) वाणिज्य बैंकों की शाखाओं में कंप्यूटरीकरण के वर्तमान संतोषजनक स्तर के परिप्रेक्ष्य में 1 अप्रैल 2010 से अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा बचत बैंक खातों पर ब्याज अदायगी की गणना दैनिक गुणन फल के आधार पर की जानी चाहिए ।

(iii) 25 अक्तूबर 2011 से भारत में निवासियों द्वारा धारित देशी बचत जमा खातों की ब्याज दरों के विनियंत्रण के परिणामस्वरूप बैंक निम्नलिखित दो शर्तों के अधीन अपने बचत बैंक जमा ब्याज दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं:

(क) पहली, प्रत्येक बैंक 1 लाख रुपये तक की बचत बैंक जमाराशियों पर एक समान ब्याज दर प्रदान करेंगे चाहे इस सीमा के भीतर खाते में राशि कुछ भी हो । ऐसी जमाराशियों पर ब्याज की गणना करते समय बैंकों से अपेक्षित

है कि वे दिन-की-समाप्ती के समय एक लाख रुपये तक की शेष राशि पर उनके द्वारा निर्धारित समान दर लागू करते हैं।

(ख) दूसरी, दिन-की-समाप्ती के समय 1 लाख रुपये से अधिक बचत बैंक शेष के लिए बैंक विभेदक ब्याज दरें प्रदान करने का विकल्प चुन सकते हैं बशर्ते वे ऐसी जमाराशियों पर देय ब्याज अर्थात् अपने किसी कार्यालय में एक ही तारीख को स्वीकृत समान राशि की एक जमाराशि तथा दूसरी जमाराशि के बीच देय ब्याज के मामले में कोई भेद नहीं करेंगे ।

(iv) जमाराशियों पर ब्याज़ दरें निर्धारित करने के लिए बैंक को अपने बोर्ड / परिसंपत्ति - देयता प्रबंधन समिति (यदि बोर्ड ने उन्हें शक्तियां प्रदान की हैं) का पूर्वानुमोदन लेना होगा।

(v) ऐसे ब्याज की अदायगी तिमाही अथवा इससे अधिक के अंतरालों पर की जानी चाहिए । बचत बैंक खाता सक्रिय हो अथवा नहीं, उस खाते पर देय ब्याज नियमित आधार पर जमा किया जाना चाहिए ।

2.2 ग. <u>अस्थायी दर जमाराशियां</u>

देशी मीयादी जमाराशियों पर, बैंक संदर्भ दर से स्पष्टत: संबद्ध अस्थायी दर दे सकते हैं। पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को चाहिए कि वे अस्थायी दर जमा उत्पाद प्रदान करते समय आंतरिक अथवा किसी मूल दर से उत्पन्न दरों का इस्तेमाल नहीं करें। बैंकों को चाहिए कि वे अपनी अस्थायी दर जमाराशियों के मूल्यन के लिए केवल बाज़ार आधारित न्यूनतम दरों का उपयोग करें जो ग्राहक के लिए स्पष्ट और पारदर्शी हों।

2.2 घ. <u>बैंकों द्वारा फ्रीज़ किए गए खातों पर ब्याज की अदायगी</u>

बैंकों को सूचित किया जाता है कि प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा अवरुद्ध (फ्रीज़) किये गये मीयादी जमा खातों के मामले में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए :

(i) ग्राहक से परिपक्वता पर अनुरोध पत्र प्राप्त किया जाए । जमाकर्ता से नवीकरण के लिए अनुरोध पत्र प्राप्त करते समय बैंकों को उसे यह भी सूचित करना चाहिए कि वह उसमें जमाराशि के नवीकरण की अवधि को भी दर्शाएं। यदि जमाकर्ता नवीकरण की अवधि को चुनने के अपने विकल्प का प्रयोग नहीं करता है तो बैंक मूल अवधि के बराबर की अवधि के लिए उसका नवीकरण करें।

(ii) कोई नई रसीद जारी करने की आवश्यकता नहीं है । तथापि, जमा लेजर में नवीकरण के संबंध में उपयुक्त नोट लगाया जाए ।

(iii) जमा के नवीकरण की सूचना पंजीकृत पत्र/स्पीड पोस्ट/कुरियर सेवा के माध्यम से संबंधित सरकारी विभाग को भेजी जानी चाहिए तथा इसकी सूचना जमाकर्ता को दी जानी चाहिए । जमाकर्ता को सूचित करते समय जमा का नवीकरण जिस ब्याज दर पर किया गया है उसका भी उल्लेख होना चाहिए ।

(iv) यदि अनुरोध पत्र प्राप्त करने की तारीख को अतिदेय अवधि 14 दिन से अधिक नहीं है, तो नवीकरण परिपक्वता की तारीख से किया जाना चाहिए । यदि अतिदेय अवधि 14 दिन से अधिक हो तो बैंक अतिदेय अवधि के लिए ब्याज की अदायगी अपनी नीति के अनुसार कर सकते हैं तथा उस ब्याज को एक अलग ब्याज मुक्त उप-खाते में रखें जिसका भुगतान तब किया जाना चाहिए जब मूल सावधि जमा का भुगतान किया जाता है ।

इसके अलावा, प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा फ्रीज़ किये गये बचत खातों में बैंक निरंतर आधार पर ब्याज जमा करते रहें ।

2.3. <u>मीयादी जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान - ब्याज की गणना की विधि</u>

बैंकिंग प्रथाओं के लिए भारतीय बैंक संघ (आइ बी ए) संहिता सदस्य बैंकों द्वारा एकसमान रूप से पालन किए जाने के लिए आई बी ए द्वारा जारी की गई है। इस संहिता का उद्देश्य न्यूनतम मानक तय करके अच्छी बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देना है जिनका पालन सदस्य-बैंक अपने ग्राहकों के साथ लेनदेन में करते हैं। देशी मीयादी जमाराशियों पर ब्याज की गणना के प्रयोजन हेतु भारतीय बैंक संघ ने यह निर्धारित किया है कि जिन जमाराशियों की चुकौती तीन महीने से कम की अवधि में की जानी है या जिन मामलों में अंतिम तिमाही अधूरी रह जाती है उनमें एक वर्ष को 365 दिनों का मान कर वास्तविक दिनों की संख्या के आधार पर आनुपातिक रूप से ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए । हमें यह रिपोर्ट मिली है कि कुछ बैंक लीप वर्ष में 366 दिन और अन्य वर्षों में 365 दिनों को आधार मान कर ब्याज की गणना करते हैं। बैंक अपने से इसके तरीके निश्चित कर सकते हैं लेकिन उन्हें ब्याज की गणना के तरीके की उपयुक्त सूचना जमाराशियां स्वीकार करते समय अपने जमाकर्ताओं को देनी चाहिए तथा ऐसी सूचना अपनी शाखाओं में प्रदर्शित भी करनी चाहिए ।

यदि मीयादी जमाराशि की रसीद की परिपक्वता अवधि पूर्ण हो जाती है और उसकी राशि अदत्त रहती है तो बैंक के पास पड़ी अदावाकृत राशि पर बचत बैंक ब्याज दर से ब्याज देय होगा ।

### 2.4. <u>सेना समूह बीमा निदेशालय, नौसेना समूह बीमा निधि तथा वायु सेना समूह बीमा सोसाइटी को अतिरिक्त ब्याज</u>

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सेना समूह बीमा निदेशालय, नौसेना समूह बीमा निधि तथा वायु सेना समूह बीमा सोसाइटी की 2 वर्ष और उससे अधिक की मीयादी जमाराशियों पर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जमाराशियों पर ब्याजदरों के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए निदेशों के अनुसार देय सामान्य ब्याज दरों से अधिक 1.28 प्रतिशत वार्षिक का अतिरिक्त ब्याज देने की अनुमति दी गयी है, बशर्ते ऐसी जमाराशियां किसी भी रूप में बैंक द्वारा बीमा प्रीमियम की अदायगी से न जुड़ी हों ।

### 2.5. <u>बैंक के कर्मचारियों एवं केवल उनके संघों की जमाराशियों पर एक प्रतिशत से अनधिक अतिरिक्त ब्याज देने का विवेकाधिकार</u>

बैंक अपने विवेक के अनुसार इस परिपत्र के **अनुबंध** 1 और 2 में निर्दिष्ट ब्याज दर से ऊपर एक प्रतिशत वार्षिक से अनधिक अतिरिक्त ब्याज निम्नलिखित शर्तों के अधीन दे सकता है :

2.5.1 निम्नलिखित के नाम से खोले गए बचत या मीयादी जमा खाते के मामले में :

(क) बैंक के स्टाफ-सदस्य अथवा सेवानिवृत्त स्टाफ-सदस्य के नाम में अकेले ही अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य अथवा सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से खोले गये खाते; अथवा

(ख) बैंक के मृत स्टाफ सदस्य अथवा सेवानिवृत्त मृत स्टाफ सदस्य की पत्नी /उसके पति के नाम में खोले गये खाते; और

(ग) किसी ऐसे संघ अथवा ऐसी निधि के नाम पर खोले गये खाते, जिनके सदस्य बैंक के कर्मचारी हो।

बैंक को संबंधित जमाकर्ता से यह घोषणापत्र प्राप्त करना चाहिए कि ऐसे खाते में जमा की गयी अथवा समय-समय पर जमा की जानेवाली धनराशि ऊपर खंड (क) से (ग) तक में उल्लिखित जमाकर्ता की ही है।

2.5.2. उप-पैराग्राफ 2.5.1 के प्रयोजन के लिए -

(i) "बैंक के स्टाफ-सदस्य" का अर्थ नियमित आधार पर नियोजित व्यक्ति है, चाहे वह

पूर्णकालिक हो अथवा अंशकालिक, और इसमें ऐसा व्यक्ति शामिल है जो परिवीक्षा पर भर्ती किया गया हो अथवा निर्दिष्ट अवधि की संविदा पर अथवा प्रतिनियुक्ति पर नियोजित किया गया हो तथा समामेलन की योजना के अनुसरण में लिया गया कोई कर्मचारी, परन्तु इसमें आकस्मिक आधार पर नियोजित व्यक्ति शामिल नहीं है ।

(क) दूसरे बैंक से प्रतिनियुक्ति पर लिये गये कर्मचारियों के मामले में, जिस बैंक द्वारा उन्हें प्रतिनियुक्त किया गया है वह बैंक प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान उसके पास खोले गये बचत अथवा मीयादी जमा खाते के संदर्भ में अतिरिक्त ब्याज दे सकता है ।

(ख) निश्चित अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर अथवा निश्चित अवधि की संविदा पर लिये गये व्यक्तियों के मामले में उक्त लाभ प्रतिनियुक्ति की अवधि अथवा संविदा समाप्त होने पर, जैसी भी स्थिति हो, मिलना बंद हो जायेगा;

(ii) "बैंक के सेवानिवृत्त स्टाफ-सदस्य" का अर्थ ऐसा कर्मचारी है जो बैंक की सेवा /स्टाफ विनियमावली में दिये गये अनुसार अधिवर्षिता पर या अन्य प्रकार से सेवानिवृत्त हो रहा हो, परन्तु इसमें ऐसा कर्मचारी शामिल नहीं है जो अनिवार्य रूप से अथवा अनुशासनिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप सेवानिवृत्त हुआ हो ;

(iii) "परिवार" शब्द में बैंक के स्टाफ-सदस्य /सेवानिवृत्त सदस्य की पत्नी /के पति तथा बच्चे, माता-पिता, भाई और बहन शामिल होंगे/होंगी जो ऐसे सदस्य /सेवानिवृत्त सदस्य पर निर्भर हों परंतु इनमें कानूनन संबंध-विच्छेद किये हुए पति /पत्नी शामिल नहीं हैं ;

2.5.3. अतिरिक्त ब्याज की अदायगी निम्नलिखित शर्तों पर होगी, अर्थात्

(i) अतिरिक्त ब्याज केवल उस समय तक देय होगा जब तक व्यक्ति उसके लिए पात्र हो तथा उसके इस प्रकार पात्र न रहने की स्थिति में, मीयादी जमा खाते की परिपक्वता तक ही अतिरिक्त ब्याज देय होगा;

(ii) समामेलन की योजना के अनुसरण में लिये गये कर्मचारियों के मामले में अतिरिक्त ब्याज तभी देय होगा जब अतिरिक्त ब्याज सहित संविदागत दर पर ब्याज उस दर से अधिक न हो जो बैंक द्वारा ऐसे कर्मचारियों को मूलतः नियोजित किये जाने पर दिया जा सकता था।

2.5.4. जिन बैंक कर्मचारी संघों में बैंक के कर्मचारी प्रत्यक्ष सदस्य न हों, वे अतिरिक्त ब्याज के लिए पात्र नहीं होंगे ।

2.5.5. देशी जमाराशियों के मामले में, बैंकों के लिए यह उचित होगा कि वे अपने सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों को, जो कि वरिष्ठ नागरिक हैं, बैंक के स्टाफ सदस्य होने के नाते उनको देय एक प्रतिशत से अनधिक अतिरिक्त ब्याज के अतिरिक्त वरिष्ठ नागरिकों को स्वीकार्य उच्चतर ब्याज दरों का लाभ दें।

2.5.6. विद्यमान अथवा सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों के अनिवासी (बाह्य) जमाराशियों के मामले में स्टाफ सदस्य होने के नाते उन्हें अदा किए गये कोई अतिरिक्त ब्याज को मिलाकर ब्याज दर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक नहीं होगी।

## 2.6. <u>बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यपालक निदेशकों की जमाराशियों पर एक प्रतिशत से अनधिक अतिरिक्त ब्याज की अदायगी से संबंधित विवेकाधिकार</u>

बैंक अपने विवेक के अनुसार अध्यक्ष, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक अथवा किसी ऐसे अन्य निदेशक से प्राप्त / नवीकृत जमाराशियों पर इस परिपत्र के **अनुबंध** 1 **और** 2 में निर्धारित ब्याज दर से ऊपर एक प्रतिशत वार्षिक अतिरिक्त ब्याज दे सकते हैं, जो किसी निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किये गये हो। लेकिन, वे उपर्युक्त पैरा 2.6 के अंतर्गत लाभ पाने के हकदार तभी तक होंगे जब तक उनकी नियुक्ति की अवधि जारी रहेगी ।

## 2.7. <u>क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा प्रायोजक बैंक के पास रखे गये चालू खाते पर ब्याज की अदायगी का विवेकाधिकार</u>

बैंक, अपने द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के चालू खाते पर ब्याज अदा कर सकता है। लेकिन बैंकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि वे ग्रामीण बैंकों को उनके चालू खातों पर ब्याज अदा न करें।

## 2.8. <u>किसी किसान के संमिश्र नकदी ऋण खाते में न्यूनतम जमा शेष पर ब्याज की अदायगी का विवेकाधिकार</u>

बैंक अपने विवेक के अनुसार, किसी किसान के संमिश्र नकदी ऋण खाते में प्रत्येक कैलेंडर महीने की 10 तारीख से लेकर महीने के अंतिम दिन तक की अवधि के दौरान न्यूनतम जमा शेष पर अपने प्रत्यक्ष ज्ञान और अन्य संबंधित बातों के आधार पर ब्याज अदा कर सकता है।

2.9. **<u>वरिष्ठ नागरिकों के लिए जमा योजना</u>**

(i) बैंकों को यह अनुमति दी गयी है कि वे अपने निदेशक मंडलों के अनुमोदन से, विशेष रूप से निवासी वरिष्ठ नागरिकों के लिए सावधि जमा योजनाएं बनायें जिनमें किसी भी राशि की सामान्य जमाराशियों के मुकाबले उच्चतर और निश्चित ब्याज दरें दी जाएं। इन योजनाओं में ऐसी सरल क्रियाविधि भी शामिल होनी चाहिए जिसमें ऐसे जमाकर्ताओं की मृत्यु हो जाने पर जमाकर्ताओं के नामितों को जमाराशियों का स्वतः अंतरण हो सके। उपर्युक्त अतिरिक्त ब्याज किसी भी प्रकार की अनिवासी जमाराशियों पर लागू नहीं होगा ।

(ii) हिंदू अविभक्त परिवार के नाम पर रखी गई मीयादी जमाराशि के मामले में, हिंदू अविभक्त परिवार के कर्ता को वरिष्ठ नागरिक होते हुए भी ब्याज की उच्चतर दर नहीं दी जा सकती क्योंकि उस जमाराशि का हिताधिकारी अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कर्ता न होकर हिंदू अविभक्त परिवार होगा ।

2.10. **<u>मीयादी जमाराशि का अवधिपूर्व आहरण</u>**

(i) बैंक को जमाराशि रखते समय जितनी अवधि की सहमति हुई थी उतनी अवधि पूरी होने के पहले जमाकर्ता के अनुरोध पर मीयादी जमाराशि आहरित करने की अनुमति देनी चाहिए। अवधि पूर्ण होने से पहले मीयादी जमाराशि के आहरण के लिए अपनी स्वयं की दंडात्मक ब्याज दर निश्चित करने की बैंकों को स्वतंत्रता होगी। बैंक जमाकर्ताओं को जमा दर के साथ लागू दंडात्मक दर से भी अवगत कराना सुनिश्चित करेगा । किसी जमाराशि के अवधिपूर्व आहरण के समय, जमाराशि के बैंक के पास रहने तक की अवधि के लिए ब्याज की अदायगी संविदागत दर से न करके संबंधित अवधि के लिए लागू दर से की जाएगी। न्यूनतम निर्धारित अवधि पूरी होने से पहले ही जमाराशि का आहरण करने पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। तथापि, बैंक अपने विवेक पर व्यक्तियों और हिन्दू अविभक्त परिवारों से इतर संस्थाओं द्वारा रखी गयी बड़ी जमाराशियों के अवधि पूर्ण होने से पहले आहरण की अनुमति देने से इनकार कर सकते हैं। परंतु बैंकों को पहले से, अर्थात् ऐसी जमाराशियां स्वीकार करते समय, अवधिपूर्व आहरण की अनुमति न देने की अपनी नीति की सूचना जमाकर्ताओं को देनी चाहिए।

(ii) अनिवासी (बाह्य) मीयादी जमाराशि के निवासी विदेशी मुद्रा खाते में परिवर्तन के लिए समयपूर्व आहरण के मामले में, बैंक को समयपूर्व आहरण पर कोई दंड नहीं लगाना चाहिए। यदि ऐसी जमाराशि की न्यूनतम अवधि 1 वर्ष न हो पाई हो, तो बैंक अपने विवेकानुसार

निवासी विदेशी मुद्रा खातों में रहने वाली बचत जमाराशियों पर देय दर से अनधिक की दर पर ब्याज अदा कर सकता है, बशर्ते अनिवासी (बाह्य) खाताधारी द्वारा भारत लौटने के तुरंत बाद इस प्रकार के परिवर्तन का अनुरोध किया जाये।

(iii) अवधि पूर्ण होने से पहले अनिवासी बाह्य जमाराशि का अवधि पूर्ण होने से पहले विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशि में तथा विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशि का अनिवासी बाह्य जमाराशि में परिवर्तन समयपूर्व आहरण से संबंधित दंडात्मक प्रावधानों की शर्त पर होना चाहिए।

(iv) अवधिपूर्णता से पूर्व अनिवासी विशेष रुपया (एनआरएसआर)/अनिवासी अप्रत्यावर्तनीय (एनआरएनआर) जमाराशि को सामान्य अनिवासी (एनआरओ) जमाराशि में परिवर्तन अवधिपूर्व आहरण से संबंधित दंडात्मक प्रावधानों के अधीन होगा ।

(v) 1 अप्रैल 2002 से एनआरएनआर/एनआरएसआर योजनाएं समाप्त होने के परिप्रेक्ष्य में, एन आर एन आर की जमाराशि को उसकी अवधिपूर्णता पर एनआरई खातों में जमा किया जा सकता है, परंतु इसे एफसीएनआर (बी) खाते में जमा नहीं किया जा सकता। एनआरएसआर की राशि को उसकी अवधिपूर्णता पर एनआरओ खातों में ही जमा किया जा सकता है। एनआरएन आर/एनआरएसआर जमाराशियों के अवधिपूर्व आहरण के मामले में, आहरित राशि को एनआरओ खाते में ही जमा किया जाना चाहिए।

## 2.11. <u>मीयादी जमाराशि, दैनिक जमाराशि के रूप में जमाराशि अथवा आवर्ती जमाराशि का मीयादी जमाराशि में पुनर्निवेश के लिए परिवर्तन</u>

जमाकर्ता के अनुरोध पर बैंक को मीयादी जमाराशि, दैनिक जमाराशि के रूप में जमाराशि अथवा आवर्ती जमाराशि के परिवर्तन की अनुमति देनी चाहिए, ताकि जमाकर्ता उपर्युक्त जमाराशियों में पड़ी राशि का दूसरी मीयादी जमाराशि में उसी बैंक में तत्काल पुनर्निवेश कर सके । 19 अप्रैल 2010 तक बैंकों को ऐसी मीयादी जमाराशियों के संबंध में दंड के रूप में ब्याज को घटाए बिना ब्याज का भुगतान करना पड़ता था बशर्ते वह जमाराशि पुनर्निवेश के बाद मूल संविदा की शेष अवधि से अधिक अवधि के लिए बैंक में रहती हो। तथापि इसकी समीक्षा करने पर तथा बेहतर आस्ति देता प्रबंधन के लिए 20 अप्रैल 2010 से बैंकों को जमाराशियों के परिवर्तन के संबंध में अपनी स्वयं की नीतियाँ बनाने की अनुमति दी गयी है।

## 2.12. <u>अतिदेय जमाराशियों का नवीकरण</u>

अतिदेय जमाराशियों के नवीकरण के सभी पहलुओं पर प्रत्येक बैंक स्वयं निर्णय लें परंतु शर्त

यह होगी कि इस संबंध में उनके निदेशक मंडल पारदर्शी नीति निश्चित कर दें तथा ग्राहकों से जमाराशि स्वीकार करते समय ब्याज दरों सहित नवीकरण की सभी शर्तें उन्हें बता दी जाएँ। ऐसी नीति में किसी तरह का विवेकाधिकार नहीं होगा तथा किसी भी तरह का भेदभाव भी नहीं बरता जाना चाहिए।

2.13. **<u>मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम - ब्याज लगाने का तरीका</u>**

(क) जब किसी मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम मंजूर किया जाता है और जमाराशि

i) एकल या संयुक्त उधारकर्ता के नाम में हो,

ii) भागीदारी फ़र्म के एक भागीदार के नाम में हो तथा अग्रिम उस फ़र्म को दिया गया हो,

iii) मालिकाना प्रतिष्ठान के स्वामी के नाम में हो तथा अग्रिम उस प्रतिष्ठान को दिया गया हो,

iv) एक आश्रित के नाम में हो, जिसका अभिभावक आश्रित की ओर से उधार लेने में सक्षम हो और जहां आश्रित के अभिभावक को इस क्षमता में अग्रिम दिया गया हो,

तो बैंक उक्त अग्रिम पर अपनी आधार दर के संदर्भ के बिना ब्याज दर लगाने के लिए स्वतंत्र होगा। इनमें वे अग्रिम शामिल हैं जो अनिवासी बाह्य मीयादी जमाराशियों की जमानत पर मंजूर किये गये हैं और जिनकी चुकौती विदेशी मुद्रा में या रुपये में की जाने वाली हो ।

यदि उस मीयादी जमाराशि को, जिसकी जमानत पर अग्रिम मंजूर किया गया था, निर्धारित न्यूनतम परिपक्वता अवधि के पूर्व ही आहरित कर लिया जाये तो ऐसे अग्रिम को मीयादी जमाराशि की जमानत पर मंजूर किया गया अग्रिम नहीं माना जाना चाहिए और उस पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अग्रिमों पर ब्याज दरों के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये निदेशों के अनुसार ब्याज लगाया जाना चाहिए ।

ख) अनिवासी बाह्य बचत जमाराशियों का खातेदार किसी भी समय बचत जमा आहरित कर सकता है और इसलिए बैंक को ऐसी जमाराशियों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार का धारणाधिकार निर्दिष्ट नहीं करना चाहिए। (बैंक देशी बचत जमाराशियों के मामले में भारतीय बैंक संघ द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों /इस संबंध में उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित

विद्यमान प्रथाओं का अनुपालन करें।)

2.14. **मीयादी जमाराशियों की जमानत पर दिये जाने वाले अग्रिमों पर मार्जिन**

कोई बैंक मीयादी जमाराशि की जमानत पर दिये गये किसी भी वित्तीय निभाव पर मार्जिन के संबंध में अपने विवेक से निर्णय लेगा परंतु शर्त यह होगी कि उनके निदेशक मंडल इस मामले में पारदर्शी नीति बना लें।

2.15. **अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता जमाराशियों पर अग्रिमों संबंधी प्रतिबंध - ऋण की मात्रा**

वर्ष 2006-07 के लिए मौद्रिक नीति संबंधी वार्षिक वक्तव्य की तीसरी तिमाही समीक्षा (पैरा 86) ने यह पाया था कि व्यक्ति अनिवासी भारतीयों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तथा प्रचलित मौद्रिक स्थितियों को विचार में लेते हुए, इस सुविधा के उपयोग के माध्यम से संवेदनशील क्षेत्रों में परिसंपत्ति के मूल्यों में वृद्धि उन्मुख दबाव को टालना बेहतर है। अत: बैंकों को जमाकर्ताओं को अथवा अन्य पक्षों को अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता और विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की जमानत पर बीस (20) लाख रुपए से अधिक की राशि के नए ऋण मंजूर करने अथवा मौजूदा ऋणों का नवीकरण करने के लिए मनाही थी। वर्ष 2009-10 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य (पैरा 111) में घोषित किए गए अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि एनआर(ई) आरए और एफसीएनआर (बी) जमारराशियों की जमानत पर जमाकर्ताओं अथवा अन्य पक्षकारों को दिए जानेवाले ऋणों की मौजूदा उच्चतम सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 100 लाख रुपये किया जाए । तदनुसार, बैंकों को चाहिए कि वे 28 अप्रैल 2009 से न तो जमाकर्ताओं को या न ही अन्य पक्ष को अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता जमाराशियों की जमानत पर सौ (100) लाख रुपए से अधिक की राशि के नए ऋण मंजूर करें अथवा मौजूदा ऋणों का नवीकरण करें। बैंकों को उच्चतम सीमा से बच निकलने के लिए किसी ऋण राशि का कृत्रिम विभाजन नहीं करना चाहिए।

2.16. **मृत जमाकर्ताओं के जमा खातों पर देय ब्याज**

(क) निम्नलिखित के नाम रहने वाली मीयादी जमाराशि के मामले में

(i) किसी मृत एकल जमाकर्ता, या

(ii) दो या अधिक संयुक्त जमाकर्ता, जिनमें से एक जमाकर्ता की मृत्यु हो गयी हो,

उपर्युक्त मामलों में, जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, अवधिपूर्ण जमाराशियों पर ब्याज की अदायगी संबंधी मानदंड निश्चित करना अलग-अलग बैंकों के विवेक पर छोड़ दिया

गया है परंतु शर्त यह होगी कि उनके निदेशक मंडल इस मामले में पारदर्शी नीति बना लें।

(ख) किसी मृत व्यक्ति जमाकर्ता/एकल स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान के नाम में खोले गए चालू खाते में पड़े शेषों के मामले में केवल 1 मई 1983 से या जमाकर्ता की मृत्यु की तारीख से, जो भी बाद में हो, दावेदारों को चुकौती की तारीख तक, भुगतान की तारीख को बचत जमाराशियों पर लागू ब्याज की दर पर ब्याज अदा किया जाना चाहिए।

**नोट**: अनिवासी बाह्य जमाराशि के मामले में, जब दावाकर्ता भारत के निवासी हो तो अवधिपूर्णता पर उक्त जमाराशि को देशी रुपया जमाराशि माना जाना चाहिए और आगे की अवधि के लिए समान अवधिपूर्णता की देशी जमाराशि पर लागू ब्याज दर पर ब्याज दिया जाना चाहिए।

2.17. **भारतीय रिज़र्व बैंक को जमाराशियों पर ब्याज में परिवर्तन तथा विभिन्न स्तरों की ब्याज दरों के अनुसार जमाराशियों के ब्रेक-अप से अवगत कराना**

सितंबर 1997 में जारी किए गए वर्तमान अनुदेशों के अनुसार जमाराशियों के ढाँचे में तथा मूल उधार दर में जब भी परिवर्तन हो, बैंकों से अपेक्षित है कि वे निर्धारित प्रोफॉर्मा में (अनुदेश पुस्तिका की विवरणी सं. 7) भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग को उसकी जानकारी दें। चूँकि बैंक हमारे मौद्रिक नीति विभाग को इस प्रकार की जानकारी देते हैं, इसलिए बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग को इस तरह की जानकारी भेजा जाना बंद कर दिया गया है।

2.18. **संयुक्त खाताधारियों का नाम/ के नाम जोड़ना या हटाना**

कोई भी बैंक सभी संयुक्त खाताधारियों के अनुरोध पर संयुक्त खाताधारी /खाताधारियों के नाम /नामों को जोड़ने या निकालने की अनुमति दे सकता है, बशर्ते परिस्थितियों के कारण ऐसा करना आवश्यक हो अथवा इसी प्रकार किसी एक जमाकर्ता को किसी अन्य व्यक्ति का नाम संयुक्त खाताधारी के रूप में जोड़ने की अनुमति दे सकता है । परंतु यदि मूल जमाराशि मीयादी जमाराशि हो तो उसकी राशि या उसकी अवधि में किसी भी तरीके से किसी भी हालत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

किसी जमा रसीद के सभी संयुक्त खाताधारकों के अनुरोध पर कोई बैंक अपने विवेक से संयुक्त जमाराशि को केवल प्रत्येक संयुक्त खाताधारक के नाम पर हिस्सों में बांटने की अनुमति दे सकता है, बशर्ते जमा की अवधि और कुल राशि में कोई परिवर्तन न हो ।

**<u>नोट</u>**: अनिवासी के साथ संयुक्त रूप से निवासी खाते खोलना तथा निवासी के साथ संयुक्त

रूप से अनिवासी बाह्य खाते खोलना विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अधीन होगा।

2.19. **<u>लेनदेनों को पूर्णांकित करना</u>**

जमाराशियों पर ब्याज के भुगतान /अग्रिमों पर ब्याज लगाने सहित सभी लेनदेन निकटतम रुपये में पूर्णांकित किये जाने चाहिए अर्थात् 50 पैसे और उससे अधिक के अंश को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम के अंश को छोड़ दिया जायेगा। नकदी प्रमाणपत्रों के निर्गम मूल्यों को भी इसी प्रकार से पूर्णांकित किया जाना चाहिए।

गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में बैंकों को सूचित किया गया था कि वे ग्राहकों द्वारा प्रस्तुत ऐसे चेक /ड्राफ्ट अस्वीकार अथवा अनादृत न किया जाना सुनिश्चित करें जो अपूर्ण रुपयों की राशि वाले हों। बैंकों को इस संबंध में अपनी प्रणाली की भी समीक्षा करनी चाहिए तथा संबंधित स्टाफ का इन अनुदेशों से सुपरिचित होना सुनिश्चित करने हेतु आंतरिक परिपत्रों आदि जारी करने सहित आवश्यक कदम उठाने चाहिए ताकि सामान्य जनता को कोई कठिनाई न हो। साथ ही, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपूर्ण रुपयों में प्रस्तुत चेकों/ड्राफ्टों को स्वीकार करने से इनकार करनेवाले उनके स्टाफ सदस्यों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है। उपर्युक्त अनुदेशों का उल्लंघन करने वाला बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अधीन दंड के लिए पात्र होगा।

2.20. **<u>मीयादी जमाराशि की रसीद जारी करना</u>**

बैंकों को मीयादी जमाराशि की रसीद जारी करनी चाहिए जिसमें पूरे ब्योरे यथा जारी करने की तारीख, जमाराशि की अवधि, चुकौती की तिथि, लागू ब्याज दर आदि का उल्लेख किया हो।

2.21 **<u>रविवार / छुट्टी के दिन / गैर कारोबारी कार्य दिवस को अवधिपूर्ण होने वाली मीयादी जमाराशि पर ब्याज का भुगतान</u>**

पुनर्निवेश जमाराशियों तथा आवर्ती जमाराशियों के मामले में बैंकों को चाहिए कि वे बीच में पड़ने वाले रविवार या छुट्टी के दिन या गैर कारोबारी कार्य दिवस (एनआरई जमाराशियों के मामले में शनिवार के लिए भी) के लिए परिपक्वता मूल्य पर ब्याज अदा करें। तथापि, साधारण मीयादी जमाराशियों के मामले में बीच पड़ने वाले रविवार/छुट्टी के दिन/गैर कारोबारी कार्य दिवस (अनिवासी बाह्य जमाराशियों के मामले में शनिवार के लिए भी) के लिए मूल मूलधन राशि पर ब्याज अदा करना चाहिए।

2.22.अ. **जमा संग्रहण योजनाएं**

बैंकों को अपनी नयी देशी जमा संग्रहण योजनाएँ लागू करने के लिए भारतीय बैंक संघ की सहमति या भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अपने संबंधित निदेशक मंडलों के अनुमोदन से नयी देशी जमा संग्रहण योजनाएं प्रारंभ करने से पूर्व बैंक जमाराशियों पर ब्याज दरों, मीयादी जमाराशियों की अवधिपूर्णता की तारीख से पूर्व आहरण, मीयादी जमाराशियों की जमानत पर ऋणों /अग्रिमों की मंजूरी आदि के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। इस संबंध में हुए उल्लंघन को गंभीरता से लिया जायेगा और ऐसा उल्लंघन होने पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार अर्थदंड भी लगाया जा सकता है ।

2.22.**आ. निश्चित अवरुद्धता अवधि वाले विशेष मीयादी जमाराशि उत्पाद**

कुछ बैंक अपने ग्राहकों को नियमित मीयादी जमाराशियों के अतिरिक्त निम्नलिखित विशेषताओं सहित 300 दिन से पांच वर्ष की अवधि वाले विशेष मीयादी जमाराशि उत्पाद प्रस्तावित कर रहे थे:

i. 6 से 12 महीने तक की निश्चित अवरुद्धता अवधि;

ii. निश्चित अवरुद्धता अवधि के दौरान समय-पूर्व आहरण करने की अनुमति नहीं है। निश्चित अवरुद्धता अवधि के दौरान समय-पूर्व आहरण करने की स्थिति में ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है;

iii. इन जमाराशियों पर प्रस्तावित ब्याज दरें सामान्य जमाराशियों पर लागू ब्याज की दरों के अनुरूप नहीं होती है;

iv. कुछ बैंक निर्धारित शर्तों के अधीन समय-पूर्व आंशिक भुगतान के लिए अनुमति देते हैं।

चूंकि कुछ बैंकों द्वारा चलाई जानेवाली निश्चित अवरुद्धता अवधि तथा उपर्युक्त संदर्भित अन्य विशेषताओं वाली विशेष योजनाएं हमारे अनुदेशों के अनुरूप नहीं थीं, इसलिए ऐसी जमा योजनाएं चलाने वाले बैंकों को यह सूचित किया गया कि वे उन्हें बंद कर दें ।

2.23. **बचत बैंक खातों में न्यूनतम जमाशेष**

बैंकों को ग्राहकों द्वारा खाते खोले जाते समय उन्हें न्यूनतम जमाशेष बनाये रखने की अपेक्षा, और यदि न्यूनतम जमा बनाये नहीं रखा जाता तो लगाये जाने वाले प्रभार आदि के संबंध में अपने ग्राहकों को स्पष्टत: सूचित किया जाना चाहिए। बाद में लगाए जाने वाले किसी भी

प्रभार की सूचना सभी जमाकर्ताओं को स्पष्ट रूप से पहले ही दी जानी चाहिए तथा इसके लिए एक महीने का नोटिस भी दिया जाना चाहिए। बैंकों को चाहिए कि वे वर्तमान खाताधारकों को, न्यूनतम निर्धारित जमाशेष के बारे में किए जाने वाले परिवर्तन, और न्यूनतम जमा न बनाये रखने पर लगाए जाने वाले प्रभार की सूचना कम से कम एक महीने पहले दें।

2.24. **"नो-फ्रिल्स" खाता**

अधिकाधिक वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से सभी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे "कुछ नहीं" अथवा अत्यल्प न्यूनतम शेष तथा प्रभारों वाला एक ऐसा आधारभूत बैंकिंग "नो-फ्रिल्स"खाता उपलब्ध कराएं जिससे ऐसे खाते अधिकाधिक लोगों को प्राप्य हो सकें। ऐसे खातों में लेन-देनों का स्वरूप तथा संख्या प्रतिबंधित हो सकती है लेकिन उसके बारे में ग्राहक को पारदर्शी रुप में अग्रिम रूप से सूचना दी जाए। सभी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे ऐसे "नो-फ्रिल्स" खाते की सुविधा का व्यापक प्रचार करें। स्थानीय प्रचार माध्यमों में भी इसकी सुविधाओं तथा प्रभारों को पारदर्शी रूप से दर्शाते हुए प्रचार किया जाए।

बैंकों के इन प्रयासों से आम व्यक्ति बैंक में खाता खोल सका है। फिर भी, जब तक बैंक देश के सुदूर कोने में बैंकिंग सेवाएं नहीं पहुँचाते तब तक वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों की पूरी तरह पूर्ति नहीं होगी। यह संभव साधनसामग्री तथा निम्न परिचालन लागत के साथ समुचित प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से करना है। इससे बैंक छोटे लेनदेनों को व्यवहार्य बनाने की दृष्टि से लेनदेन लागत को निम्नतर रख सकेंगे। कुछ बैंकों ने शाखाओं में जिस प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं उस प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए स्मार्ट कार्ड /मोबाइल प्रौद्योगिकी का उपयोग कर देश के विभिन्न सुदूर भागों में कतिपय प्रायोगिक परियोजनाएं पहले ही आरंभ कर दी हैं। अतः समुचित प्रौद्योगिकी के उपयोग से वित्तीय समावेशन के अपने प्रयासों को बढ़ाने में बैंकों को तेजी लानी है। यह सुनिश्चित करने की सावधानी बरतनी चाहिए कि इसके लिए अपनाए गए मार्ग (i) पूरी तरह सुरक्षित हैं, (ii) लेखा-परीक्षा के लिए स्वीकार्य हैं और (iii) विभिन्न बैंकों द्वारा अपनायी गयी विभिन्न प्रणालियों में अंतर परिचालन की अनुमति देने हेतु व्यापक रूप से स्वीकृत खुले मानकों का अनुसरण करते हैं।

2. 25. **छूट**

उपर्युक्त पैराग्राफ में दी गयी कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी :

(i) बैंक द्वारा:

(क) उधारदाता और उधारकर्ता दोनों के रूप में मांग /नोटिस /मीयादी मुद्रा बाजार में सहभागी होने के लिए अनुमति प्राप्त संस्थाओं अर्थात् सभी अनुसूचित बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों से प्राप्त जमाराशि;

(ख) ऐसी जमाराशि, जिसके लिए बैंक ने सहभागिता प्रमाणपत्र जारी किया है,

(ग) विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना, निवासी विदेशी मुद्रा खाता और विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खातों के अंतर्गत प्राप्त जमाराशि;

(घ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 की उप धारा (2), धारा 54 ख की उप धारा (2), धारा 54 घ की उप धारा (2), धारा 54 च की उप धारा (4) और धारा 54 छ की उप धारा (2) के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा बनायी गयी पूँजीगत लाभ खाता योजना, 1988 के अंतर्गत प्राप्त जमाराशि; और

(ङ) जमा प्रमाणपत्र योजना के अंतर्गत प्राप्त कोई जमाराशि।

(ii) बाह्य केन्द्रों के लिखतों यथा चेकों ड्राफ्टों, बिलों, टेलीग्राफिक / मेल अंतरणों आदि की विलंबित वसूली पर ब्याज का भुगतान ।

2.26. **प्रतिबंध**

किसी भी बैंक को -

(क) उपर्युक्त पैराग्राफ 2.8 और 2.17 (ख) में किये गये उपबंधों को छोड़कर चालू खाते पर ब्याज अदा नहीं करना चाहिए;

(ख) बैंक के उधारकर्ताओं द्वारा बैंक के पास रखे किसी चालू खाते पर प्रतिकारी ब्याज (काउंटर- वेलिंग इंटरेस्ट) अदा नहीं करना चाहिए;

(ग) विशिष्ट तौर पर निवासी भारतीय वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनायी गयी सावधि जमा योजनाओं को छोड़कर जिन पर किसी भी मात्रा में सामान्य जमाराशियों की तुलना में उच्चतर और नियत ब्याज दरें दी जा सकती हैं तथा 15 लाख रुपये और अधिक की एकल मीयादी जमाराशियों को छोड़कर जिन पर जमाराशियों की मात्रा के आधार पर ब्याज की अलग-अलग दरों की अनुमति दी जा सकती है, अन्य जमाराशियों पर अदा किये जाने वाले ब्याज की दर के संबंध में एक ही तारीख को स्वीकार की गयी तथा एक ही अवधिपूर्णता वाली किन्हीं दो जमाराशियों के बीच भेदभाव नहीं करेगा, चाहे ऐसी जमाराशियां बैंक के एक ही कार्यालय में

स्वीकार की गयी हों या अलग-अलग कार्यालयों में स्वीकार की गयी हों । अलग-अलग ब्याज दरें देने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर होगी :

(i) एक ही अवधिपूर्णता की जमाराशियों पर अलग-अलग ब्याजदरें देने की अनुमति 15 लाख रुपये और उससे अधिक की एकल मीयादी जमाराशियों पर लागू होगी। अत: बैंक 15 लाख रुपये और उससे अधिक की जमाराशियों के लिए एक ही ब्याज दर या अलग-अलग ब्याजदरें दे सकते हैं। एक ही अवधिपूर्णता की 15 लाख रुपये से कम की जमाराशियों के लिए एक दर ही लागू होगी। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार की 28 जुलाई 2006 की अधिसूचना सं.203/2006 द्वारा घोषित बैंक मीयादी जमा योजना 2006 के आधार पर बैंकों द्वारा बनाई गई जमा योजनाओं पर, उसी अवधि की अन्य जमाओं की तुलना में, उच्चतर/भिन्न ब्याज दर लगाना बैंकों के लिए उचित नहीं होगा। पूंजीगत अभिलाभ खाता योजना, 1988 के अंतर्गत प्राप्त जमाराशियों पर भी उच्चतर/भिन्न ब्याज दर लगाना बैंकों के लिए उचित नहीं होगा।

(ii) उन जमाराशियों सहित, जिन पर अलग-अलग ब्याजदरें देय होगी, विभिन्न जमाराशियों पर देय ब्याज दरों की अनुसूची पहले से प्रकट करनी चाहिए। बैंक द्वारा दी गयी ब्याज दरें अनुसूची के अनुसार होनी चाहिए तथा उन्हें जमाकर्ता और बैंक के बीच बातचीत द्वारा तय नहीं किया जाना चाहिए।

(घ) कोई भी बैंक जमाराशियों पर किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, संघ, संस्था अथवा किसी अन्य व्यक्ति को कमीशन या उपहार या प्रोत्साहन या किसी भी अन्य तरीके से अथवा किसी अन्य रूप में, निम्नलिखित को छोड़कर, दलाली अदा नहीं करेगा :

(i) विशेष योजना के अंतर्गत घर-घर जाकर जमाराशियों का संग्रह करने के लिए नियोजित एजेंटों को अदा किया गया कमीशन; बैंकों को व्यवसाय सहायक और व्यवसाय संपर्की मॉडलों के उपयोग के जरिए जमाराशियां जुटाने सहित वित्तीय और बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने में मध्यस्थों के रूप में गैर-सरकारी संगठनों/स्वयं सहायता समूहों/लघु वित्त संस्थाओं (एमएफआई तथा अन्य सिविल सोसायटी संगठन) की सेवाओं का उपयोग करने की भी अनुमति दी गई है। बैंक व्यवसाय सहायकों और व्यवसाय संपर्कियों को उचित कमीशन/शुल्क अदा कर सकते हैं जिसकी आवधिक रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। बैंकों की ओर से सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यवसाय सहायकों और व्यवसाय संपर्कियों को ग्राहकों से सीधे ही कोई शुल्क वसूल न करने के

लिए करार में प्रावधान होना चाहिए;

(ii) अधिक से अधिक 250 रुपये के साधारण उपहार; और

(iii) स्टाफ-सदस्यों को, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथाअनुमोदित, मंजूर किया गया प्रोत्साहन।

(ङ) कोई बैंक किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, एसोसिएशन, संस्था या किसी अन्य व्यक्ति को जमाराशियां जुटाने अथवा पारिश्रमिक या शुल्क या किसी भी रूप में या किसी भी ढंग से कमीशन के भुगतान पर जमाराशियों से संबद्ध उत्पादों की बिक्री के लिए नियुक्त नहीं करेगा/ नहीं लगायेगा, सिवाय उक्त के खंड (घ) के उप खंड (i) में अनुमत सीमा तक ।

(च) कोई बैंक जमाराशियां जुटाने के लिए पुरस्कार /लॉटरी /मुफ्त यात्राएं (भारत में और /अथवा विदेश की) आयोजित नहीं करेगा । यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंकों को 250/- रुपये कीमत तक अथवा उससे कम लागत वाले सस्ते उपहारों को छोड़कर कोई भी बैंकिंग उत्पाद जिनमें पुरस्कार/लॉटरी/मुफ्त यात्राएं (भारत में तथा/अथवा विदेश में) आदि वाली ऑनलाईन विप्रेषण योजनाएं अथवा कोई अन्य प्रोत्साहन जिसमें संयोग की बात जुड़ी हो, शामिल है प्रस्तावित नहीं करने चाहिए क्योंकि ऐसे उत्पादों की कीमत निर्धारण प्रणाली में पारदर्शिता नहीं होती और इस प्रकार वे दिशानिर्देशों के मूलभाव के विरुद्ध होते हैं । यदि बैंकों द्वारा ऐसे उत्पाद प्रस्तावित किए जाते हैं तो उसे मौजूदा अनुदेशों का उल्लंघन समझा जाएगा और संबंधित बैंक दंडात्मक कार्रवाई के लिए पात्र होगा ।

(छ) कोई बैंक मौज़ूदा / संभावित ऋणकर्ताओं की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एजेंटों/ तीसरी पार्टी के माध्यम से संसाधन जुटाने अथवा जमाराशियां जुटाने के प्रतिफल के आधार पर बिचौलियों को ऋण प्रदान करने की अनैतिक प्रथाएं नहीं अपनायेगा।

(ज) कोई बैंक किसी अवधि विशेष के लिए बैंक द्वारा दिये जाने वाले वास्तविक साधारण ब्याजदर का उल्लेख किये बिना मीयादी जमाराशियों पर केवल मिश्र प्रतिफल को ही विशेष रूप से बताकर जनता से जमाराशियां मांगने के लिए विज्ञापन /साहित्य प्रकाशित नहीं करेगा। जमाराशि की अवधि के लिए वार्षिक साधारण ब्याजदर हर हालत में बतायी जानी चाहिए।

(झ) कोई बैंक चालू खाते में रखी गई मार्जिन राशि पर ब्याज अदा नहीं करेगा।

(ञ) कोई बैंक, सरकारी विभागों /अर्धसरकारी सदृश निकायों, स्थानीय निकायों आदि को प्रस्तुत करने के लिए, टेंडर देने वालों (ठेकेदारों) को चालू खाते की राशि की जमानत पर जारी 'मांग पर जमाराशि' रसीदों पर ब्याज अदा नहीं करेगा ।

(ट) कोई बैंक चालू खाते की जमाराशि को छोड़कर अन्य रूप में ब्याजमुक्त जमाराशि स्वीकार

नहीं करेगा या परोक्ष रूप से मुआवजा अदा नहीं करेगा ।

(ठ) कोई बैंक निजी वित्तपोषकों अथवा अनिगमित निकायों से या उनके कहने पर उनसे किसी ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार नहीं करेगा, जिनसे निजी वित्तपोषकों के ग्राहक /कों के पक्ष में जमा रसीद /रसीदें जारी होती हों अथवा जमाराशि की अवधि पूरी होने पर ऐसी जमाराशियां प्राप्त करने वाले ऐसे ग्राहकों के लिए मुख्तारनामे, नामन या अन्य के द्वारा प्राधिकार दिया जाये ।

(ड) कोई बैंक अन्य बैंकों की मीयादी जमा रसीदों अथवा अन्य मीयादी जमाराशियों की जमानत पर अग्रिम प्रदान नहीं करेगा ।

(ढ) कोई बैंक (i) सरकारी विभागों /अपने कार्यनिष्पादन के लिए बजट आबंटन पर निर्भर निकायों/ नगर निगमों अथवा नगर समितियों /पंचायत समितियों /राज्य आवास बोर्डों/जल और मल-निकासी/जल-निकासी बोर्डों/राज्य पाठ्यपुस्तक प्रकाशन निगमों/ समितियों/ महानगरीय विकास प्राधिकरण /राज्य /ज़िला स्तरीय आवास सहकारी समितियों आदि के नाम से अथवा किसी राजनीतिक दल अथवा किसी व्यापारिक/ कारोबारी अथवा पेशेवर प्रतिष्ठान के नाम से बचत बैंक खाता नहीं खोलेगा, चाहे ऐसा प्रतिष्ठान स्वामित्व वाला हो अथवा कोई भागीदारी फर्म या कोई कंपनी या कोई संघ हो ।

**<u>स्पष्टीकरण</u>**

इस खंड के प्रयोजन हेतु 'राजनीतिक दल' से अभिप्राय ऐसा संघ या भारत के एकल नागरिकों का निकाय है, जो भारत के निर्वाचन आयोग के यहां तत्समय प्रचलित निर्वाचन चिह्न (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अंतर्गत राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत है या पंजीकृत माना गया है ।

(ii) उपर्युक्त प्रतिबंध **अनुबंध** 3 में सूचीबद्ध संगठनों / एजेन्सियों के मामले में लागू नहीं होगा ।

## देशी / साधारण अनिवासी खातों की जमाराशियों पर ब्याज की दरें (पैराग्राफ 2.2ख (i))

(प्रतिशत वार्षिक)

**खाते की श्रेणी**

| | | |
|---|---|---|
| (i) | चालू | शून्य |
| (ii) | बचत* | 4.0 (3 मई 2011 से 24 अक्तूबर 2011 तक लागू)<br>मुक्त (25 अक्तूबर 2011 से) |
| (iii) | मीयादी जमाराशियां*<br>(न्यूनतम अवधि 7 दिन) | मुक्त |

* परिचालनगत सुविधा के लिए देशी/एनआरओ खातों पर लागू ब्याज दरों को निकटतम दो दशमलव तक पूर्णांकित किया जाए ।

* साधारण अनिवासी बचत जमाराशियों पर 3 मई से 15 दिसंबर 2011 तक लागू होनेवाली ब्याज दर 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी। 16 दिसंबर 2011 से ब्याज दरों को विनियंत्रित किया गया है। तथापि साधारण अनिवासी जमाराशियों पर बैंकों द्वारा दी जानेवाली ब्याज दरें उनके द्वारा तुलनीय देशी रुपया जमाराशियों को दी जानेवाली ब्याज दरों से अधिक नहीं हो सकते हैं।

अनुबंध 2

## अनिवासी (बाह्य ) खातों की जमाराशियों पर
## लागू ब्याज की दरें [पैरा 2.2ख(i)]

**[प्रतिशत वार्षिक]**

| | | |
|---|---|---|
| (i) | चालू खाता | शून्य |
| (ii) | बचत खाता | 16 दिसंबर 2011 से ब्याज दरों को विनियंत्रित किया गया है। तथापि अनिवासी (बाह्य) जमाराशियों पर बैंकों द्वारा दी जानेवाली ब्याज दरें उनके द्वारा तुलनीय देशी रुपया जमाराशियों को दी जानेवाली ब्याज दरों से अधिक नहीं हो सकती हैं। |
| | | चूंकि 25 अक्तूबर 2011 से देशी बचत जमाराशियों पर ब्याज दरों को विनियंत्रित किया गया था, इसलिए 25 अक्तूबर से 15 दिसंबर 2011 तक की अवधि के लिए अनिवासी (बाह्य) बचत जमाराशियों पर ब्याज दर, हमारे परिपत्र बैंपविवि. डीआईआर. बीसी. 89 & 90/ 13.03.00/2010-11 में निर्धारित किए गए अनुसार 4 प्रतिशत प्रति वर्ष थी। |
| | | 17 नवंबर 2005 को भारत में कारोबार बंद होने के समय से 24 अक्तूबर 2011 तक अनिवासी बाह्य बचत जमाराशियों पर ब्याज दरें अमेरिकी डालर जमाराशियों पर 6 महीनों की परिपक्वता के लिए लिबॉर/स्वैप दर के बजाय वही होनी चाहिए जो देशी बचत जमाराशियों पर लागू हैं। |
| (iii) | मीयादी जमाराशियां: | 16 दिसंबर 2011 को भारत में कारोबार बंद होने के समय से अनिवासी (बाह्य) रुपया जमाराशियों पर ब्याज दरों को विनियंत्रित किया गया है। तदनुसार बैंक अनिवासी (बाह्य) रुपया जमा खातों के अंतर्गत एक वर्ष तथा उससे अधिक की परिपक्वता वाली दोनों मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। |
| | | 23 नवंबर 2011 को भारत में कारोबार बंद होने के समय से 15 दिसंबर 2011 तक एक से तीन वर्ष तक की अवधि की अनिवासी (बाह्य) जमाराशियों पर ब्याज दरें पिछले महीने के अंतिम कार्य दिन को तदनुरूपी परिपक्वता के अमेरिकी डालर के लिए लिबोर/स्वैप दरों में 275 आधार अंक मिलाकर आनेवाली दर से अधिक नहीं होनी चाहिए (15 नवंबर 2008 को कारोबार की समाप्ति से लिबॉर/स्वैप दरों में 175 आधार अंक मिलाकर आनेवाली दर की तुलना में)। |

| | | |
|---|---|---|
| | | 15 नवंबर 2008 को भारत में कारोबार बंद होने के समय से 22 नवंबर 2011 तक एक से तीन वर्ष तक की अवधि की अनिवासी (बाह्य) जमाराशियों पर ब्याज दरें पिछले महीने के अंतिम कार्य दिन को तदनुरूपी परिपक्वता के अमेरिकी डालर के लिए लिबोर/स्वैप दरों में 175 आधार अंक मिलाकर आनेवाली दर से अधिक नहीं होनी चाहिए (15 अक्तूबर 2008 को कारोबार की समाप्ति से लिबॉर/स्वैप दरों में 100 आधार अंक मिलाकर आनेवाली दर की तुलना में)। |
| | | पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन की लिबॉर /स्वैप दरें परवर्ती माह से दी जाने वाली ब्याजदरों के लिए उच्चतम दरें निश्चित करने के लिए आधार होंगी। |
| | | ब्याज दरों में उपर्युक्त परिवर्तन वर्तमान अवधिपूर्णता के बाद नवीकृत की गयी प्रत्यावर्तनीय अनिवासी (बाह्य) जमाराशियों के मामले में भी लागू होगा। |
| | | 29 अप्रैल 2003 से नयी अनिवासी बाह्य जमाराशियों की परिपक्वता अवधि सामान्यत: एक वर्ष से तीन वर्ष होगी। यह उनकी वर्तमान परिपक्वता अवधि के बाद नवीकृत अनिवासी बाह्य जमाराशियों पर भी लागू होगी। यदि कोई विशिष्ट बैंक अपनी आस्ति देयता प्रबंधन की दृष्टि से 3 वर्ष से अधिक परिपक्वता अवधि वाली जमाराशियां स्वीकार करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है बशर्ते ऐसी दीर्घावधि जमाराशियों पर ब्याज दरें 3 वर्ष वाली अनिवासी बाह्य जमाराशियों पर लागू दर से अधिक न हों। |
| | | परिचालनगत सुविधा के प्रयोजन से ब्याज दरों को निकटतम दो दशमलव अंक तक पूर्णांकित किया जाए। उदाहरण के लिए 3.676 प्रतिशत की गणना की गयी ब्याज दर 3.68 प्रतिशत हो जायेगी और 3.644 प्रतिशत 3.64 प्रतिशत हो जायेगी । |
| | | फेडाई एक वेब पेज, जो कि रॉयटर्स स्क्रीन के सभी ग्राहकों को प्राप्य होगा, का उपयोग करते हुए प्रत्येक महीने के अंतिम कार्य दिन के लिबॉर/स्वैप दरों को उद्धृत/प्रदर्शित करता है। ये दरें परवर्ती माह से दी जाने वाली ब्याज दरों के लिए उच्चतम दरें निश्चित करने के लिए आधार दरों के रूप में ली जा सकती हैं। |

## उन संस्थाओं / निकायों की सूची जिन पर निदेश के खण्ड 2.26(ढ) (i) में दिये गये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे

(1) ऐसी प्राथमिक सहकारी ऋण समिति जिसका वित्तपोषण बैंक द्वारा किया जा रहा हो।

(2) खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड।

(3) कृषि उपज विपणन समितियां।

(4) राज्य सहकारी समिति अधिनियमों तथा भूमि बंधक बैंक का निर्माण करने वाले किसी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत समितियों को छोड़कर समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा राज्य या किसी संघशासित क्षेत्र में लागू तदनुरूपी किसी विधि के अंतर्गत पंजीकृत समितियां।

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा नियंत्रित ऐसी कंपनियां जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत अथवा भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 के तदनुरूपी उपबंध के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा लाइसेंस दिया गया है और जिन्हें उनके नामों में ''लिमिटेड'' अथवा ''प्राइवेट लिमिटेड'' शब्द न जोड़ने की अनुमति दी गयी है ।

(6) उपर्युक्त खंड 26(ढ) (i) में उल्लिखित संस्थाओं को छोड़कर अन्य संस्थाएं और जिनकी पूरी आय आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आयकर चुकाने से मुक्त है ।

(7) केंद्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों /योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जारी अनुदानों /सब्सिडी के मामले में सरकारी विभाग /निकाय / एजेंसियां, बशर्ते वे बचत बैंक खाता खोलने के लिए संबंधित केन्द्र /राज्य सरकार के विभागों से प्राधिकरण प्रस्तुत करें ।

(8) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास (डीडब्ल्यूसीआरए)।

(9) पंजीकृत या गैर-पंजीकृत ऐसे स्व-सहायता समूह (एसएचजी) जो अपने सदस्यों में बचत की आदत को बढ़ावा देने के काम में लगे हैं ।

(10) कृषकों के क्लब-विकास वालंटियर वाहिनी - वीवीवी ।

**परिशिष्ट**

**देशी / सामान्य अनिवासी /अनिवासी (बाह्य) खातों में रुपया जमाराशियों पर ब्याज दरों से संबंधित मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची**

| क्र.सं | परिपत्र सं. | तारीख | विषय |
|---|---|---|---|
| 1. | बैंपविवि. सं. डीआइआर.बीसी.46 & 47 / 13.03.00/2000-2001 | 4.11.2000* | देशी, सामान्य अनिवासी (एनआरओ), अनिवासी विशेष रुपया (एनआरएसआर) तथा अनिवासी (बाह्य) (एनआरई) खातों में धारित रुपया जमाराशियों पर ब्याज दरों से संबंधित मास्टर निदेश । |
| 2. | बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 61/ 24.91.001/2000 | 29.12.2000 | मांग/नोटिस मुद्रा बाजार तथा बिल रिडिस्काउंटिंग योजना में सहभागी होने के लिए अनुमति-निजी क्षेत्र म्युच्युअल फंड । |
| 3. | बैंपविवि. सं. डीआइआर.बीसी.62 / 13.03.00/2000-01 | 03.01.2001 | जमाराशियों पर ब्याज दरें । |
| 4. | बैंपविवि. सं. डीआइआर.बीसी. 64 / 13.03.00/2000-01 | 03.01.2001 | मृत जमाकर्ता की मीयादी जमाराशि पर ब्याज की अदायगी । |
| 5. | बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी.80/ 24.103.001/2000 | 20.02.2001 | मांग/नोटिस मुद्रा बाजार तथा बिल रिडिस्काउंटिंग योजना में सहभागी होने के लिए अनुमति - बीमा कंपनियां । |
| 6. | बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी.85/ 24.103.001/2001 | 01.03.2001 | मांग/नोटिस मुद्रा बाजार तथा बिल रिडिस्काउंटिंग योजना में सहभागी होने के लिए अनुमति - बीमा कंपनियां । |
| 7. | बैंपविवि. सं. डीआइआर.बीसी.104 & 107/13.03.00/2000-01 | 19.04.2001 | वर्ष 2001-2002 के लिए मौद्रिक तथा ऋण नीति - ब्याज दर नीति । |
| 8. | बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी.125/ 24.92.001/2000-01 | 25.05.2001 | कॉल/नोटिस मीयादी मुद्रा बाजार तथा बिल रिडिस्काउंटिंग योजना में सहभागी होने के लिए अनुमति - प्राथमिक व्यापारी । |

| क्र.सं | परिपत्र सं. | तारीख | विषय |
|---|---|---|---|
| 9. | बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी.01/ 24.91.001/2001-02 | 05.07.2001 | कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार तथा बिल रिडिस्काउंटिंग योजना में सहभागी होने के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्युच्युअल फंड । |
| 10. | बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी.30/ 24.91.001/2001-02 | 28.09.2001 | कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार तथा बिल रिडिस्काउंटिंग योजना में सहभागी होने के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्युच्युअल फंड |
| 11. | बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी.31 /24.92.001/2001-02 | 28.09.2001 | कॉल/नोटिस मीयादी मुद्रा बाजार तथा बिल रिडिस्काउंटिंग योजना में सहभागी होने के लिए अनुमति - प्राथमिक व्यापारी । |
| 12. | बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी.41/ 24.91.001/2001-02 | 01.11.2001 | कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार तथा बिल रिडिस्काउंटिंग योजना में सहभागी होने के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्युच्युअल फंड । |
| 13. | बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी.49/ 24.92.001/2001-02 | 24.11.2001 | कॉल/नोटिस मीयादी मुद्रा बाजार तथा बिल रिडिस्काउंटिंग योजना में सहभागी होने के लिए अनुमति - प्राथमिक व्यापारी । |
| 14. | बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी.51/ 24.92.001/2001-02 | 04.12.2001 | कॉल/नोटिस मीयादी मुद्रा बाजार तथा बिल रिडिस्काउंटिंग योजना में सहभागी होने के लिए अनुमति - प्राथमिक व्यापारी । |
| 15. | बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी.85/ 24. 92.001/2001-02 | 03.04.2002 | कॉल/नोटिस मीयादी मुद्रा बाजार तथा बिल रिडिस्काउंटिंग योजना में सहभागी होने के लिए अनुमति - प्राथमिक व्यापारी । |
| 16. | बैंपविवि. सं. डीआइआर.बीसी.93/ 13.01.09/2001-02 | 29.04.2002 | जमा योजनाओं की पूर्ण परिवर्तनीयता - अनिवासी भारतीय - एनआरएनआर खाते तथा एनआरएसआर खाते । |

| क्र.सं | परिपत्र सं. | तारीख | विषय |
|---|---|---|---|
| 17. | बैंपविवि. सं. डीआइआर.बीसी. 38/ 13.03.00/2002-03 | 05.11.2002 | वर्ष 2002-03 के लिए मौद्रिक तथा ऋण नीति की मध्यावधि समीक्षा - बैंक/आरआरबी/ स्थानीय क्षेत्र बैंक द्वारा जमाराशियों पर ब्याज दरें । |
| 18. | बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 45/ 24.92.001/2002-03 | 03.12.2002 | कॉल/नोटिस मीयादी मुद्रा बाजार तथा बिल रिडिस्काउंटिंग योजना में सहभागी होने के लिए अनुमति - प्राथमिक व्यापारी । |
| 19. | बैंपविवि. सं. डीआइआर.बीसी. 50 & 51/13.03.00/2002-03 | 14.12.2002 | विशिष्ट निकायों/संगठनों के नाम पर बचत बैंक खाते खोलना । |
| 20. | बैंपविवि. सं. डीआइआर.बीसी. 53/ 13.10.00/2002-03 | 26.12.2002 | बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष । |
| 21. | बैंपविवि. सं. डीआइआर.बीसी.75 & 76/13.03.00/2002-03 | 28.02.2003 | जमाराशियों पर ब्याज दरें । |
| 22. | बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी.85 & 86/24.91.001/2002-03 | 26.03.2003 | कॉल/नोटिस मीयादी मुद्रा बाजार तथा बिल रिडिस्काउंटिंग योजना में सहभागी होने के लिए अनुमति - प्राथमिक व्यापारी । |
| 23. | बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी.86 / 24.92.001/2002-03 | 26.03.2003 | कॉल/नोटिस मुद्रा बाजार तथा बिल रिडिस्काउंटिंग योजना में सहभागी होने के लिए अनुमति - निजी क्षेत्र म्युच्युअल फंड। |
| 24. | बैंपविवि. सं. डीआइआर.बीसी.101 & 102/13.01.09/2002-03 | 29.04.2003 | अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों के अंतर्गत जमाराशियां । |
| 25. | बैंपविवि. सं. डीआइआर.बीसी.1& 2/13.01.09/2003-04 | 17.07.2003 | अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें । |
| 26. | एमपीडी. बीसी. 237/ 07.01.279/ 2003-04 | 17.07.2003 | अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें । |
| 27. | बैंपविवि. सं. डीआइआर.बीसी. 25 & 26/13.01.09/2003-04 | 15.09.2003 | अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें । |

| क्र.सं | परिपत्र सं. | तारीख | विषय |
|---|---|---|---|
| 28. | बैंपविवि. सं. डीआइआर.बीसी. 35 & 36/13.01.09/2003-04 | 18.10.2003 | अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें । |
| 29. | बैंपविवि. सं. डीआइआर.बीसी. 68 & 69/13.03.00/2003-04 | 13.02.2004 | देशी, सामान्य अनिवासी तथा अनिवासी (बाह्य) खातों में रखी रुपया जमाराशियों पर ब्याज दरें |
| 30. | बैंपविवि. सं. डीआइआर.बीसी. 75 & 76/13.01.09/2003-04 | 17.04.2004 | देशी, सामान्य अनिवासी तथा अनिवासी (बाह्य) खातों में रखी रुपया जमाराशियों पर ब्याज दरें |
| 31. | बैंपविवि. सं. डीआइआर.बीसी. 78/13.03.00/2003-04 | 22.04.2004 | सार्वजनिक सेवाओं संबंधी क्रियाविधियों तथा कार्यनिष्पादन लेखा-परीक्षा पर समिति - रिपोर्ट सं. III - बैंकिंग परिचालन - जमा खाते तथा व्यक्तियों (कारोबार से इतर) से संबंधित अन्य सुविधाएं । |
| 32. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. 53 & 54/13.03.00/2004-05 | 01.11.2004 | अनिवासी (बाह्य) रुपया जमाराशियों पर ब्याज दरें । |
| 33. | बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 44/09.07.05/ 2005-06 | 11.11.2005 | वित्तीय समावेशन । |
| 34. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. 48 /13.03.00/2005-06 | 17.11.2005 | अनिवासी (बाह्य) रुपया जमाराशियों पर ब्याज दरें । |
| 35. | बैंपविवि. सं. बीएल. बीसी. 58/22.01.001/2005-06 | 25.01.2006 | बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर वित्तीय समावेशन - व्यवसाय सुविधा दाताओं तथा प्रतिनिधियों का उपयोग करना । |
| 36. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. 62/13.03.00/2005-06 | 08.02.2006 | अनिवासी जमाराशियों पर ब्याज दरें । |
| 37. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. 80/13.03.00/2005-06 | 18.04.2006 | अनिवासी (बाह्य) रुपया जमाराशियों पर ब्याज दरें । |

| क्र.सं | परिपत्र सं. | तारीख | विषय |
|---|---|---|---|
| 38. | ए. पी.(डीआइआर सीरिज) परिपत्र सं. 29 | 31.01.2007 | विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियमावली,2000 - अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों/विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की जमानत पर अनिवासी/तृतीय पक्षकारों को ऋण । |
| 39. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 54 & 55/13.03.00/2006-07 | 31.01.2007 | अनिवासी (बाह्य) रुपया जमाराशियों तथा एफसीएनआर (बी) जमाराशियों पर ब्याज दरें । |
| 40. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 70/13.01.01/2006-07 | 30.03.2007 | चेकों को निकटतम रुपये में पूर्णांकित करना । |
| 41. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 88 & 89/13.03.00/2006-07 | 24.04.2007 | अनिवासी (बाह्य) रुपया जमाराशियों तथा एफसीएनआर (बी)जमाराशियों पर ब्याज दरें । |
| 42. | बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 94/09.07.005/2006-07 | 07.05.2007 | वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - आईटी समर्थित वित्तीय समावेशन । |
| 43. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 39/13.03.00/2007-08 | 25.10.2007 | लॉक-इन अवधि वाली जमा योजनाएं |
| 44. | बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 34/09.07.005/2008-09 | 22.08.2008 | बैंकों में अदावाकृत जमाराशियां/निक्रिय खाते |
| 45. | बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी. 47/09.07.005/2008-09 | 19.09.2008 | बैंकों द्वारा अवरोधित खातों पर ब्याज का भुगतान |
| 46. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 82/13.03.00/2008-09 | 15.11.2008 | अनिवासी (बाह्य) रुपया जमाराशियों तथा एफसीएनआर (बी)जमाराशियों पर ब्याज दरें । |
| 47. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी.128/13.03.00/2008-09 | 24.04.2009 | दैनिक गुणन फल के आधार पर बचत बैंक खातों पर ब्याज का भुगतान |

| क्र.सं | परिपत्र सं. | तारीख | विषय |
|---|---|---|---|
| 48. | ए. पी.(डीआइआर सीरिज़) परिपत्र सं. 66 | 28.04.2009 | विदेशी मुद्रा प्रबंधन (जमा) विनियमावली, 2000 - अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों/विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों की जमानत पर अनिवासी/तृतीय पक्षकारों को ऋण । |
| 49. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 77/13.03.00/2009-10 | 19.02.2010 | दैनिक गुणन फल के आधार पर बचत बैंक खातों पर ब्याज का भुगतान । |
| 50. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 91/13.03.00/2009-10 | 20.04.2010 | मीयादी जमाराशियों में पुनर्निवेश के लिए मीयादी जमाराशियों, दैनिक जमाराशियों अथवा आवर्ती जमाराशियों का परिवर्तन |
| 51. | बैंपविवि. डीआइआर. बीसी. 89 & 90/13.03.00/2010-11 | 03.05.2011 | जमाराशियों पर ब्याज दरें । |
| 52. | ए. पी.(डीआइआर सीरिज़) परिपत्र सं. 70 | 09.06.2011 | विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा आस्तियों का विप्रेषण – साधारण अनिवासी खाते खोलना |
| 53. | ए. पी.(डीआइआर सीरिज़) परिपत्र सं. 12 | 15.09.2011 | भारत में निवासियों द्वारा रखे गए बचत बैंक खाते - संयुक्त धारक -उदारीकरण |
| 54. | ए. पी.(डीआइआर सीरिज़) परिपत्र सं. 13 | 15.09.2011 | निकट रिश्तेदार के साथ संयुक्त रूप से अनिवासी (बाह्य)/ एफसीएनआर (बी) खाते धारण करने वाले अनिवासी भारतीयों/ पीआइओ - उदारीकरण |
| 55. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 42/13.03.00/2011-12 | 25.10.2011 | बचत बैंक जमा ब्याज दर का विनियंत्रण - दिशानिर्देश |
| 56. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 59/13.03.00/2011-12 | 23.11.2011 | अनिवासी (बाह्य) रुपया जमाराशियों तथा एफसीउनआर (बी)जमाराशियों पर ब्याज दरें । |
| 57. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 64/13.03.00/ 2011-12 | 16.12.2011 | अनिवासी (बाह्य) रुपया जमाराशियों तथा साधारण अनिवासी (एनआरओ) खातों पर ब्याज दरों का विनियंत्रण |

| क्र.सं | परिपत्र सं. | तारीख | विषय |
|---|---|---|---|
| 58. | बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 75/13.03.00/ 2011-12 | 25.01 2012 | बचत बैंक जमा ब्याज दर का विनियंत्रण - दिशानिर्देश |

*4 नवंबर 2000 का परिपत्र 27 दिसंबर 1985 के आधारभूत निदेश को प्रतिस्थापित करता है और उस तारीख तक किए गए सभी संशोधनों/जारी किए गए अनुदेशों को सम्मिलित करता है ।